भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2017
दिनांक 06 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

हिमाचल प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना

2017. डॉ. राजीव भारद्वाज:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत पैनलबद्ध निजी और सरकारी अस्पतालों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है और हिमाचल प्रदेश, विशेषकर कांगड़ा और चम्बा जिलों, में जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) हिमाचल प्रदेश में उक्त योजना के अंतर्गत कितने लाभार्थी पंजीकृत/लाभान्वित हुए हैं; और
(ग) क्या उक्त योजना के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती होने/उपचार से पहले और बाद में किए गए व्यय को भी शामिल किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत 29,870 से अधिक अस्पतालों को पैनलबद्ध किया गया है, ताकि योजना के लाभार्थियों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा सकें। इसमें 13,173 निजी अस्पताल भी शामिल हैं।

हिमाचल प्रदेश राज्य में इस योजना के अंतर्गत पैनलबद्ध सार्वजनिक और निजी अस्पतालों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और जिला-वार विवरण क्रमशः **अनुलग्नक-I** और **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

31.10.2024 तक हिमाचल प्रदेश राज्य में कुल 13,39,890 आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश राज्य में 408.38 करोड़ रुपये की लागत से 3.06 लाख लोगों को उपचार प्रदान किए गए हैं।

(ग): सभी पहले से मौजूद बीमारियों को पहले दिन से ही कवर किया जाता है और सेवाओं में योजना के तहत उपचार से संबंधित सभी लागतों को कवर करने वाली पूर्व निर्धारित प्रक्रियाओं की एक सूची शामिल होती है। एबी-पीएमजेएवाई के तहत उपचार पैकेज इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि लाभार्थियों को अपनी जेब से कोई भुगतान नहीं करना पड़ता है। एबी-पीएमजेएवाई के तहत उपचार पैकेज बहुत व्यापक हैं, जिसमें निदान, पूर्व-चिकित्सा, ऐनिस्थेटिक-पूर्व जांच और वर्तमान बीमारी से संबंधित परामर्श सहित अस्पताल में भर्ती होने से पहले के खर्च 3 दिनों तक और योजना के तहत 15 दिनों तक की दवा के खर्च सहित अस्पताल में भर्ती होने के बाद के खर्च शामिल हैं।

अनुलग्नक-।

<u>योजना के अंतर्गत सार्वजनिक और निजी व्यक्तियों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण</u>

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**निजी अस्पताल**	**सार्वजनिक अस्पताल**
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0	7
आंध्र प्रदेश	1053	1414
अरुणाचल प्रदेश	4	46
असम	170	183
बिहार	436	586
चंडीगढ़	24	7
छत्तीसगढ़	585	1038
दादरा और नगर हवेली	2	11
दमन और दीव	3	4
दिल्ली	56	11
गोवा	2	14
गुजरात	912	1752
हरियाणा	724	502
हिमाचल प्रदेश	144	138
जम्मू और कश्मीर	133	120
झारखंड	322	240
कर्नाटक	579	2970
केरल	383	202
लद्दाख	0	9
लक्षद्वीप	0	5
मध्य प्रदेश	556	496
महाराष्ट्र	800	208
मणिपुर	34	34
मेघालय	18	154
मिजोरम	8	80
नगालैंड	26	50
ओडिशा	1	11
पुद्दुचेरी	18	12
पंजाब	557	217
राजस्थान	974	930
सिक्किम	5	14
तमिलनाडु	1209	1004
तेलंगाना	374	1015
त्रिपुरा	5	133
उत्तर प्रदेश	2854	2948
उत्तराखंड	189	105
पश्चिम बंगाल	15	27

अनुलग्नक- II

<u>हिमाचल प्रदेश राज्य में योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध सार्वजनिक और निजी अस्पतालों की संख्या का जिलावार विवरण</u>

ज़िला	**निजी अस्पताल**	**सार्वजनिक अस्पताल**
बिलासपुर	4	10
चंबा	5	8
हमीरपुर	9	8
कांगड़ा	33	25
किन्नौर	0	6
कुल्लू	13	9
लाहुल और स्पीति	0	6
मंडी	21	22
शिमला	5	18
सिरमौर	8	8
सोलन	24	8
ऊना	22	10

*****